भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

स्थल स्वीकृति तथा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना

आवेदन संख्या: AV.24018/25/2015-AD

आवेदक का नाम: मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

निर्णय:
संचालन समिति ने होलोंगी, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सार्वजनिक उपयोग हेतु होलोंगी, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक" स्वीकृति तथा घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे हेतु स्थल स्वीकृति, रक्षा मंत्रालय (MoD), नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) तथा वर्ल्ड क्लास कंसोर्टियम ऑफ एयरपोर्ट्स द्वारा लगाई गई शर्तों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन प्रदान की जाती है।

'स्थल स्वीकृति' तथा 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें

(i) राज्य सरकार हवाईअड्डा स्थल की भराई हेतु आवश्यक मिट्टी उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त स्थल की पहचान करेगी।

(ii) राजमार्ग से हवाईअड्डा स्थल तक पहुँच मार्ग का निर्माण राज्य सरकार अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करेगी।

(iii) हवाईअड्डा स्थल तक थोक विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति पर होने वाला व्यय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) तथा राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

(iv) परियोजना लागत में प्रस्तावित ₹50 करोड़ की होटल तथा अन्य गतिविधियों को हटाया जाएगा।

(v) तदनुसार, परियोजना लागत को पूर्व प्रस्तावित ₹1092.03 करोड़ से संशोधित कर ₹955.385 करोड़ कर दिया गया है। उपर्युक्त अनुशंसित परियोजना लागत, परियोजना के वित्तपोषण हेतु 90:10 (भारत सरकार : एएआई) के अनुपात में नागर विमानन मंत्रालय के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने हेतु वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन होगी। तथापि, भूमि अधिग्रहण लागत तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) पर ₹242.90 करोड़ से अधिक की किसी भी अतिरिक्त लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(vi) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016 के अनुसार किया जाना चाहिए।

(vii) प्रवर्तक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

(viii) आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित सरकारी संगठनों/एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किया जाएगा।

(ix) यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष तक वैध रहेगा। यदि जिस निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं होता है अथवा मूल प्रस्ताव से भिन्न पाया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त एवं अमान्य माना जाएगा। प्रस्ताव के लिए नया अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(x) परिचालक रक्षा तथा अन्य अर्द्धसैनिक विमानों के लिए रेडियो नेविगेशन सहायता, लैंडिंग तथा पार्किंग सुविधाओं सहित एयरोड्रोम सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इसके लिए हेलीपोर्ट परिचालक अग्रिम रूप से पार्किंग क्षेत्र, तकनीकी सहायता सेवाएँ, पारगमन तथा अन्य सेवाओं को आरक्षित करेगा।

(xi) हवाईअड्डे पर उपलब्ध रेडियो नेविगेशन सहायता सैन्य विमानों के परिचालन हेतु आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक: 18.01.2019

(वेंकटरमण हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष-24610366